सहकारी समितियों / संघो के निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता

CO-OPERATIVE ELECTION AUTHORITY
UTTARAKHAND DEHRADUN

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन)
अधिनियम 2015 की धारा 29 की उपधारा–(3–क) के प्रावधानों के तहत
जारी किये गये अनुदेश

-:कार्यालय-ज्ञापः-

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों के निर्वाचन स्वतंत्र एंव निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से अपने परिपत्र संख्या सी0-565, दिनांक 08.06.2018 के द्वारा 'आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित दिशा-निर्देश से अवगत कराया गया है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है, कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा निर्गत 'आदर्श आचार संहिता' सहकारी निर्वाचन की धोषणा की तिथि से प्रभावी हो जायेगी और सहकारी चुनाव की समाप्ति की तिथि से एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगी।

12/09/24

(हंसा दत्त पाण्डे)
अध्यक्ष,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून।

(03/30, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून)

पत्रांक-262-71/स0नि0पत्रा0 /सह0नि0अधि0 / 2023-24 दिनांक 12 सितम्बर, 2024।

प्रतिलिपिः-निम्नाकिंत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक/पदाधिकारी प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति/संस्था उत्तराखण्ड द्वारा जिला सहायक निबन्धक।
2. समस्त ज़िला सहायक निबन्धक/ ज़िला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।
3. उपनिबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड गढवाल/ कुमाऊ मण्डल।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक, शीर्ष सहकारी सस्थायें उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक/निबन्धक, दुग्ध एंव डेरी विकास विभाग हल्द्वानी।
7. आयुक्त/निबन्धक, गन्ना एंव चीनी विभाग, बाजपुर काशीपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ निबन्धक, भेषज विकास इकाई, उधान विभाग देहरादून।
9. निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
10. सचिव सहकारिता उत्तराखण्ड शासन को संज्ञानार्थ प्रेषित।

सचिव,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण देहरादून।

(लैन नं0–3 / 30, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून)

दूरभाष नं.–0135–2666688 (12electionauthority@gmail.com)

पत्र कमांक C-565 / उ0स0नि0प्रा0 / आ0आ0सं0 / 2018–19 दिनॉक 08/06/ 2018।

अनुदेश

(उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 29 की उपधारा (3–क) के तहत)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 29 की उपधारा (3–क) में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के तहत सहकारी समितियों के स्वतंत्र, उचित एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए संलग्नानुसार आदर्श आचार संहिता के अनुदेश इस निर्देश के साथ जारी किये जा रहे हैं कि इन आदर्श आचार संहिता अनुदेशों को सभी पंजीकृत समितियों को उपलब्ध कराते हुये निर्वाचन के समय कठोरता से पालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

(तुलसीराम)
अध्यक्ष
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

o/c

संलग्नः– आदर्श आचार संहिता अनुदेश।

पत्रांक C-565 / सह.नि.प्रा. / निर्वाचन आचार संहिता / 2018–19 दिनॉक 08/06/2018।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ प्रेषित–

(1) समस्त, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
(2) समस्त सचिव / महाप्रबन्धक / पदाधिकारी प्रबन्ध कमेटी, सहकारी समिति / संस्था उत्तराखण्ड द्वारा जिला सहायक निबन्धक।
(3) समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
(4) समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट उत्तराखण्ड।
(5) निदेशक / निबन्धक, दुग्ध एवं डेयरी विकास विभाग, हल्द्वानी।
(6) आयुक्त / निबन्धक, गन्ना एवं चीनी विभाग, बाजपुर, काशीपुर।
(7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / निबन्धक, भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग देहरादून।
(8) निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
(9) सचिव सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन, को संज्ञानार्थ प्रेषित।

08/6/18
अध्यक्ष
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिये आदर्श आचार संहिता अनुदेश

सहकारी समितियों के निर्वाचन केवल सदस्यों द्वारा अपनी सोसाइटी के प्रबन्धन हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रकिया मात्र है, जिसे अभ्यर्थियों एवं सदस्यों को बिना किसी अपव्यय, शोर–शराबे अथवा हंगामे तथा बिना जनसामान्य को असुविधा पहुंचाते हुए पूर्णतः शालीनता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के साथ केवल सदस्यों के मध्य व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से सौहार्दपूर्ण एवं स्वस्थ वातावरण रखते हुए सम्पन्न करने चाहिए, इसी दृष्टि से तथा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन विधि की प्रकिया दूषित न हो, इस दृष्टि से राज्य की सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए निम्नानुसार एक आदर्श आचार संहिता निर्धारित एवं प्रसारित की जाती है–

(1) संहिता की परिधि–

यह आचार संहिता उन सभी सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/संचालकों/अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सदस्यों पर लागू होगी, जिनसे सम्बन्धित सहकारी निर्वाचन कार्यकम की घोषणा कर दी गई है।

(2) अवधि–

यह आचार संहिता किसी भी सहकारी संस्था के निर्वाचन की घोषणा से प्रारम्भ होकर संचालक मण्डल के सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचित होने की घोषणा होने तक की अवधि के लिए लागू होगी।

(3) सामान्य आचरण–

1. किसी भी सहकारी समिति के पदाधिकारियों या सदस्यों को ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो।
2. मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नही लिया जाना चाहिए तथा निर्वाचन प्रचार में लिये किसी पूजा स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नही किया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्हों का प्रयोग समिति में या अपने शरीर पर या सभा स्थल पर नहीं किया जाना चाहिए।
3. सहकारी समिति के पदाधिकारियों या सदस्यों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सहकारी निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और नैतिक अधमता माना गया है।
4. जहाँ तक सम्भव हो सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से चुनाव सभाओं का आयोजन नहीं करना चाहिए और न ही ध्वनि प्रदूषण यंत्रों द्वारा जनजीवन को असुविधा पहुंचनी चाहिए।
5. निर्वाचन अभ्यर्थियों को किसी अन्य अभ्यर्थी के निर्वाचन कार्य में बाधा डालना, मतदान केन्द्र व मतदान केन्द्र के भवन परिसर के अन्दर मत संयाचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास विश्रृंखल आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना, शराब अथवा मादक द्रव्य उपलब्ध कराना, मतदाताओं के प्रतिरुपण करना आदि आचरण नहीं करना चाहिए।

6. सहकारी समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों अथवा निर्वाचन अभ्यर्थियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन अहाता, दीवार आदि का चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लगाने, बैनर लगाने आदि के लिए बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिए।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना–अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या निर्वाचन प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार सम्बन्धी कोई कार्य में शामिल करना चाहिए।

(4) मतदान दिवस को सहकारी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को चाहिए कि वे–
1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान निष्पक्ष शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
2. निर्वाचन पदाधिकारियों को चाहिए कि वे अधिकतम पारदर्शिता व सदासहिता से प्रतिभाग करें और निर्वाचन कार्यकम में किसी प्रकार का व्यवधान न डालें।
3. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान–पत्र दें।
4. ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गयी पहचान पर्चियों, सादे सफेद कागज पर हों और उन पर कोई प्रतीक चिन्ह अथवा अभ्यर्थी का नाम नहीं हो।
5. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि मतदान स्थल पर केवल वही मतदाता कतारबद्ध होकर रहें जिनका मतदान होना बाकि है। शेष मतदान कर चुके मतदाता या अन्य समर्थक मतदान स्थल से हटा दिये जायें।
6. यह सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस को अभ्यर्थी कोई कैम्प न लगायें तथा न ही मतदान केन्द्र के आस पास कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक चिन्ह या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाये।
7. मतदान केन्द्र जिस भवन में हो, उस भवन परिसर में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें।
8. किसी भी वाहन से अन्य ऐसे मतदाताओं को जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं हैं, मतदान केन्द्रों तक लाने व वहां से ले जाने का कार्य करने से पूर्ण रुप से रोका जाये।
9. समस्त निर्वाचन प्रतिभागियों से अपेक्षा है कि वे चुनाव प्रेक्षक, चुनाव अधिकारी व मतदान से जुड़े कार्मिकों का पूर्ण सहयोग करें।

(5) मतदान दिवस को मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करें।

(6) 1. सहकारी समिति के चुनाव केवल सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन है, जो कि पूर्णतः गैर राजनैतिक एवं बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के होना चाहिए। अतः सहकारी समिति के पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उन्होंने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया है, और विशेष रूप से–

(क) पदाधिकारियों को अपने कार्यकाल के कार्य हेतु किए जा रहे दौरों/भ्रमण को निर्वाचन में निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोडना चाहिए और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए समिति की मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग

नहीं करना चाहिएजहां पर गाड़ी/वाहन आदि की सुविधा प्राप्त है तात्र उसका उपयोग कार्यालय आने–जाने तक ही सीमित किसा जाये।

(ख) सहकारी समिति की मशीनरी और कार्मिकों का निर्वाचन में किसी उम्मीदवार के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

2. समिति के पदाधिकारियों द्वारा समिति के खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना अथवा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन लाभार्थ कोई प्रचार नहीं किया जाना चाहिए।

3. समिति के सदस्यों से भिन्न किसी गैर सदस्य, राजनेता अथवा राजनैतिक दल को अपने किसी अभ्यर्थी के पक्ष में जब से उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा किसी समिति के निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते है, प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।

4. जब से सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते है तब से उन समितियों के संचालक मण्डल की ऐसी बैठकें आयोजित नहीं करनी चाहिए जिनमें कोई नितिगत निर्णय लिया जाये केवल समिति की तात्कालिक आवश्यकता हेतु ही अनिवार्य विषयों पर बैठकें अपवाद स्वरूप आयोजित की जानी चाहिए जिनके अभाव में समिति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

5. सहकारी समिति के निर्वाचन की घोषणा के अनन्तर समिति की सामान्य सभा की बैठक आहूत नहीं करनी चाहिए। यदि समिति के सामान्य सभा चुनाव की घोषणा के पूर्व से ही आहूत की जा चुकी है तो जहां तक संभव हो उसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए और यदि किसी कारण से ऐसा किया जाना संभव न हो तो उसमें केवल लेखों के अनुमोदन जैसे सामान्य एवं अन्य ऐसे आवश्यक विषयों पर ही चर्चा की जानी चाहिए जिन पर तत्काल निर्णय लिया जाना आवश्यक हो। किसी भी नीतिगत विषयों अथवा ऐसे निर्णयों जिससे समिति के सामान्य सदस्यों को प्रभावित किया जा सके, पर विचार स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

6. सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा उस समय से जबसे उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकारण द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं–

(क)– सहकारी समिति के नियमित कार्यकलापों के अतिरिक्त किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं की जाये।

(ख)– किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा योजनाओं का शुभारंभ आधारशिला रखना आदि कार्यक्रम नहीं रखें।

(ग)– सदस्यों को लाभांश अथवा उपहार नहीं दिये जाने और न ही देने की घोषणा की जाये।

7 सहकारी समिति के पदाधिकारी अथवा अभ्यर्थी केवल एक मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में ही अपने निर्धारित मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश कर सकेंगे।

8 सहकारी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा उस समय से जब से उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकारण द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाता है, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों से जुडे हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं करने चाहिए।

(7) चुनाव अभियान एवं प्रचार कार्य–

सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी एवं उनसे सम्बन्धित शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान के संचालन प्रचार में भाग नहीं लेंगे तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी हैसियत या पद का लाभ किसी अन्य व्यक्ति विशेष या उम्मीदवार को न मिले। उनके द्वारा ऐसा कोई आचरण या कार्य नही किया जाएगा, जिससे इस आशंका को बल मिले कि वे किसी व्यक्ति विशेष या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

(8) स्थापना सम्बन्धी–

किसी भी प्रकार की नियुक्तियाँ, तदर्थ नियुक्ति, अनुकम्पा नियुक्तियाँ, प्रतिनियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ एवं स्थानान्तरण, निर्वाचन के दौरान पूर्णरुप से प्रतिबन्धित रहेंगी।

(9) नये निर्माण, नीलामी–

निर्वाचन काल अन्तर्गत नये निर्माण, नई सम्पत्ति का अर्जन, विक्रय आदि नहीं किया जायेगा तथा महत्वपूर्ण नीलामियाँ लम्बित रखी जायेंगी।

(10) सहकारी संस्थाओं के अतिथि गृह–

जिन सहकारी संस्थाओं के द्वारा अतिथि गृह संचालित किये जा रहे हैं, उनका उपयोग संस्था के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

(11) सहायकों का उपयोग–

सहकारी संस्थाओं द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को लिपिकीय एवं अन्य कार्य हेतु जो स्टेनो/लिपिक कर्मचारी आदि उपलब्ध कराये गये हैं उन्हे निर्वाचन प्रकिया की घोषणा पर तत्काल वापस लिया जायेगा।

(12) व्यवहार में निष्पक्षता–

संस्था के किसी भी पदाधिकारी, संचालक अथवा सदस्य से व्यवहार के सम्बन्ध में पूर्ण निष्पक्षता बरती जाये। रैली, चुनाव, सभा आदि के लिये संस्था के धन का उपयोग नहीं किया जायेगा। किसी भी संस्था द्वारा उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के विशेष रुप से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे।

(13) सदस्यों को भत्ता–

निर्वाचन हेतु आयोजित आम सभा/विशेष आम सभा में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को संस्था द्वारा कन्वेन्स/यात्रा भत्ता एवं उपहार आदि दिये जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

(14) आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही–

इस आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के संज्ञान में आनें पर सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्था के विरुद्ध विधि अनुकूल कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 29 (2) में निर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत ऐसी समस्त सहकारी समितियां जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया है, की नई प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन की विधि को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन योग्य समितियों में उक्त अधिनियम की धारा 29 (3) के अधीन निर्वाचन करवाया जाना अपरिहार्य हो गया है।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0–325/एम0बी0 2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2024 तथा दिनांक 20.08.2024 को सुनवाई करते हुऐ प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन हेतु माह अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित निवार्चन तिथियों का संज्ञान लिया गया है, किन्तु कतिपय जिला सहायक निबन्धक/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारीयों एंव मण्डलीय उप निबन्धक सहकारी समितियों द्वारा उत्तराखण्ड शासन सहकारिता अनुभाग की अधिसूचना संख्या–222247/xiv–1/2024–07 (04) 2016, दिनांक 04 जुलाई, 2024, के द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्थानुसार महिला आरक्षण हेतु निर्धारित प्रकिया पूर्ण न हो पाने के कारण अतिरिक्त समय की मांग की गयी है।

अतः उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 यथा संशोधित की धारा 29 (3–क) में सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य में पंजीकृत समस्त बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, की नई प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन हेतु प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति तथा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु एतदद्वारा निम्नानुसार निर्वाचन तिथियां निर्धारित की जाती है–

क0सं0	सहकारी समिति का प्रकार	सामान्य निकाय के सदस्यों हेतु निर्वाचन तिथियां।	प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों हेतु निर्वाचन तिथियां।	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों हेतु निर्वाचन तिथियां।
1	समस्त बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।	–	21.11.2024	22.11.2024

12/9/24
(हंसा दत्त पाण्डे)
अध्यक्ष,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक–248-59/स0नि0प्रा0/सह0नि0अधि0/2023–24 दिनांक 12 सितम्बर 2024।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
5. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्रबन्ध निदेशक, शीर्ष सहकारी सस्थायें उत्तराखण्ड।
9. उपनिबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
10. समस्त जिला सहायक निबन्धक/ जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 उत्तराखण्ड।
12. कार्यालय प्रति निर्वाचन प्रकोष्ठ।

सचिव,
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।